भा.कृ.अनु.प.– भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान
लाइब्रेरी एवेन्यू, पूसा, नई दिल्ली–110012

सं. : 9(20)/2017–हिन्दी

दिनांक : 06 नवम्बर, 2018

परिपत्र

दिनांक 26 सितम्बर, 2018 को हुई परिषद की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में **"समाचार–पत्रों में विज्ञापनों पर व्यय की जाने वाली राशि में से 50 प्रतिशत राशि हिन्दी के विज्ञापनों पर व्यय करने के सम्बन्ध में"** अध्यक्ष द्वारा दिये गये आदेशों के सम्बन्ध में परिषद की निदेशक (राजभाषा) से प्राप्त संलग्न 30 अक्टूबर, 2018 के पत्र संख्या रा.भा.1(4)/2018–हिन्दी के अनुसरण में, समस्त प्रशासनिक अनुभागों एवं पुस्तकालय को निदेश दिये जाते हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि विज्ञापनों पर खर्च की जाने वाली राशि में से 50 प्रतिशत राशि अनिवार्य रूप से हिन्दी में जारी विज्ञापनों पर व्यय की जाए । हर हाल में यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में इन नियमों का उल्लंघन न हो ।

यह परिपत्र निदेशक महोदय के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जाता रहा है ।

06/11/2018

(विजय कुमार)
कार्यालय प्रधान

वितरण :

1. सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन–। अनुभाग, भा.कृ.सां.अ.सं.।
2. सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन–।। अनुभाग, भा.कृ.सां.अ.सं.।
3. सहायक प्रशासनिक अधिकारी, भर्ती प्रकोष्ठ, भा.कृ.सां.अ.सं.।
4. सहायक प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय खरीद अनुभाग, भा.कृ.सां.अ.सं.।
5. सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्य अनुभाग, भा.कृ.सां.अ.सं.।
6. प्रशासनिक अधिकारी, रखरखाव अनुभाग, भा.कृ.सां.अ.सं.।
7. प्रशासनिक अधिकारी, उपकरण रखरखाव अनुभाग, भा.कृ.सां.अ.सं.।
8. प्रभारी, पुस्तकालय, भा.कृ.सां.अ.सं.।
9. निदेशक महोदय के निजी सहायक, भा.कृ.सां.अ.सं. ।
10. कार्यालय प्रधान/वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी के निजी सहायक, भा.कृ.सां.अ.सं.।
11. अध्यक्ष, संगणक अनुप्रयोग प्रभाग – कृपया इस परिपत्र को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था हेतु देखें ।
12. महत्वपूर्ण आदेशों की फाइल ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
कृषि भवन, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली–110 001
Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi 110 001

फा.सं. रा.भा. 1(4)/2018-हिन्दी

दिनांक 30 अक्टूबर, 2018

सेवा में,

भाकृअप के अधीनस्थ सभी संस्थानों/निदेशालयों/ब्यूरो/केन्द्रों के निदेशक

विषय :- समाचार पत्रों में विज्ञापनों पर व्यय की जाने वाली राशि में से 50 प्रतिशत राशि हिन्दी के विज्ञापनों पर व्यय करने के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषय में यह उल्लेख है कि संस्थानों से प्राप्त सूचना के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट पर परिषद की दिनांक 26.09.2018 को सम्पन्न हुई राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में चर्चा की गई। जिसमें यह पाया गया कि अधिकांश संस्थानों द्वारा अंग्रेजी में विज्ञापनों पर ज्यादा राशि खर्च की गई है। जबकि हिन्दी या द्विभाषी विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि बहुत ही कम है। इसे अध्यक्ष महोदय ने गंभीरता से लेते हुए नाराजगी व्यक्त की तथा यह आदेश दिया कि संस्थान हर हाल में यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में इन नियम का उल्लंघन न हो तथा विज्ञापन केवल द्विभाषी रूप में ही जारी किए जाएं।

अत: आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करते हुए यह सुनिश्चित करें कि विज्ञापनों पर खर्च की जाने वाली राशि हिन्दी व अंग्रेजी में बराबर-बराबर हों।

भवदीया

सीमा चोपड़ा
30.10.18

(सीमा चोपड़ा)
निदेशक (रा.भा.)